संख्या—— 5 /2021/6/12/73का-2/टी-.सी.IV-(IV)/2021

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव,**
   उ0प्र0 शासन।
2. **समस्त विभागाध्यक्ष,**
   उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 02 नवम्बर, 2021

विषयः- उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अन्तर्गत मृतक आश्रितों के समायोजन में आ रही कठिनाईयों के निवारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) के मुख्य प्राविधान निम्नवत् है:-

(i) नियम -5(1)- यदि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय और मृत सरकारी सेवक का पति या पत्नी (जैसी भी स्थिति हो) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, तो उसके कुटुम्ब के ऐसे सदस्य को, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निगम के अधीन पहले से सेवायोजित न हो, इस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर भर्ती के सामान्य नियमों को शिथिल करते हुये, सरकारी सेवा में किसी पद को छोड़कर, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत हो, उपयुक्त सेवायोजन प्रदान किया जायेगा यदि ऐसा व्यक्तिः -

(एक) पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं पूरी करता हो,

(दो) सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्ह हो, और

(तीन) सरकारी सेवक की मृत्यु के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर सेवायोजन के लिए आवेदन करता है :

परन्तु जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवायोजन के लिए आवेदन करने के लिए नियत समा-सीमा से किसी विशष्ट मामले में अनुचित कठिनाई

होती है वहां वह अपेक्षाओं को, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत व साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

(ii) नियम -5(2)- जहां तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।

(iii) नियम -8(3)- इस नियमावली के अधीन कोई नियुक्ति विद्यमान रिक्ति में की जाएगी, प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई रिक्ति विद्यमान न हो, तो नियुक्ति तुरन्त किसी ऐसे अधिसंख्य पद के प्रति की जाएगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया समझा जायेगा और जो तब तक चलेगा जब तक कोई रिक्ति उपलब्ध न हो जाय।

2- कोविड एवं दिनांक: 01.04.2020 से अब तक नॉन कोविड के कारण मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने तथा उनके समस्त देयकों आदि के भुगतान करने के सम्बन्ध में शासन स्तर पर समय-समय पर विभिन्न विभागों के साथ हुई समीक्षा बैठक में कतिपय विभागों द्वारा तृतीय/चतुर्थ श्रेणी में पदों की अनुपब्धता एवं पहले से ही अधिसंख्य पदों पर पर्याप्त कर्मी के कार्यरत होने के कारण और अधिक अधिसंख्य पद सृजित किये जाने में हो रही कठिनाई से अवगत कराया गया।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यद्यपि नियम-5(2) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि "जहां तक सम्भव हो, ऐसा सेवायोजन उसी विभाग में दिया जाना चाहिए जिसमें मृत सरकारी सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व सेवायोजित था।" तथापि ऐसे विभाग जहॉ सेवायोजन सम्भव न हो वहॉ पर अन्य विभागों में सेवायोजन प्रदान किया जा सकता है। अत: उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 के नियम-2(क) के अन्तर्गत परिभाषित सरकारी सेवकों के ऐसे आश्रितों को समयबद्ध रूप से अन्य विभागों में सेवायोजित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिया गया है-:

(i) ऐसे विभाग जिनके यहां मृतक आश्रितों को सेवायोजित करने हेतु सीधी भर्ती के समूह 'ग' के पदों में पर्याप्त पद उलपब्ध नहीं हैं तथा 10 प्रतिशत से अधिक अधिसंख्य पद सृजित करने की आवश्यकता पड रही है, वे औचित्य सहित अपना प्रस्ताव कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायेंगे जिसमें स्पष्ट उल्लेख होगा कि कितनी संख्या के मृतक आश्रितों के पदों को अन्य विभाग में समायोजित करने की आवश्यकता है और उनकी नियमावली, न्यूनतम अर्हता का विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।

(ii) कार्मिक विभाग समस्त प्रशासकीय विभागों से समन्वय स्थापित करके सम्बिन्धत विभागों के समूह 'ग' के रिक्त पद तथा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अधियाचित पदों की सूचना एकत्रित करके अद्यावधिक रखेगा।

(iii) याचक विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर कार्मिक विभाग द्वारा परीक्षण करने के पश्चात ऐसे विभाग चिहिनत किये जायेंगे, जहां मृतक आश्रितों को समूह 'ग' के पद के स्तर पर समायोजन सम्भव हो सकता है।

(iv) कार्मिक विभाग के परीक्षण के उपरान्त इसे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जायेगा, जिसमें

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/, कार्मिक सदस्य सचिव तथा सम्बन्धित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग एवं प्रमुख सचिव न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सदस्य होंगे। इस समिति द्वारा किस मृतक आश्रित की किस विभाग में किस पद पर नियुक्ति होनी है, की संस्तुति की जायेगी तथा उक्त संस्तुति पर मा0 मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। उक्त निर्णय के अनुपालन में सम्बन्धित विभाग के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति-पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(v) तत्क्रम में ही सभी विभागों द्वारा सीधी भर्ती के अन्तर्गत समूह 'ग' (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पद) के सृजित पदों की कुल संख्या एवं उसके सापेक्ष रिक्त पदों पर चयन हेतु सम्बन्धित विभागों में उक्त के आलोक में अधियाचित पदों की संख्या को मृतक आश्रित की संख्या की सीमा तक कम करके संशोधित अधियाचन प्रेषित किया जायेगा।

कृपया उक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या— 5 (1) /2021(1)/6/12/73का-2/टी-.सी.IV-(IV)/2021, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश ।
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
9. निदेशक, सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश ।
10. उत्तर प्रदेश ।
11. वेब अधिकारी वेब /मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश ।
12. संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को 200 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभाग-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से।

(निर्मेष कुमार शुक्ल)

अनु सचिव।